P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-11* July- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

गाँधी की राज्य की अवधारणा

सारांश

महात्मा गांधी बीसवीं सदी के महान् विचारक माने जाते है। उनकी प्रसिद्धि भारत में ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त है। वे बचपन से ही गंभीर चिन्तन में संलग्न रहे। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि वे अनेक विरोधाभासों से युक्त जीवन जीते हुए अन्तिम परिष्कृत दर्शन खोज निकालते थे। गांधीजी महज एक दार्शनिक ही नहीं बल्कि अच्छे मनोविज्ञानी भी थे। भारतीय जनमानस को समझकर उनके अनुकूल विचारों का सृजन गांधी दर्शन की विशेषता है। अनेक पौराणिक एवं धार्मिक प्रतीकों का सहज प्रयोग गांधीजी के दर्शन में स्पष्ट झलकता है।

गांधीजी ने भारतीय ज्ञानदर्शन, संस्कृति, परम्परा आदि को अपने तर्क की कसौटी पर परखते हुए उनके परिष्कृत रूप को स्वीकार किया। वे मूलरूप से आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारधारा के पक्षधर थे। इसलिए गांधीजी के विचार उस युग में भी प्रासंगिक थे, आज भी है, और आगे भी प्रासंगिक रहेंगे।

गांधी एक अद्वितीय राष्ट्रीय मूर्ति थे। वे एक भविष्यवक्ता, एक हिन्दू धर्म–सुधारक, एक समाज सुधारक और एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। भारत के इस अर्द्धनग्न संत ने सत्य अेर अहिंसा के परम अस्त्र लेकर जीवन पर्यन्त ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ों पर प्रहार किया। उन्होंने भौतिकवाद की ओर अग्रसर इस संसार को नवीन संदेश दिया।

रामदयाल मीना
शोध छात्र,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर

मुख्य शब्द : गाँधी जी, राज्य, कांग्रेस, आजादी, अंहिसा, अराजकतावाद।

प्रस्तावना

महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचन्द गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर, 1869 को सौराष्ट्र (काठियावाड़) के पोरबन्दर नामक स्थान पर हुआ था। उनकी माता का नाम पुतली बाई तथा उनके पिता का नाम करमचन्द गांधी था जो कबा गांधी भी कहलाते थे। वे क्रमशः पोरबन्दर, राजकोट (काठियावाड़) तथा बीकानेर के दीवान रहे। जब मोहनदास तेरह वर्ष के थे, तब उनका विवाह कस्तूरबाई (कस्तूरबा) से हो गया। विवाह के 62 वर्ष पश्चात् 1944 ईस्वी में पूना की ब्रिटिश जेल में कस्तूरबा का स्वर्गवास हो गया।

गांधी परिवार इस क्षेत्र का प्रतिष्ठित परिवार था। गांधीजी के दादा उत्तमचन्द गांधी पोरबन्दर रियासत के दीवान थे। इसी पद को केवल 25 वर्ष की उम्र में गांधीजी के पिता करमचन्द गांधी ने प्राप्त किया था। इनके जीवन तथा प्रारम्भिक चरित्र पर परिवार के वातावरण तथा माता का अत्यधिक प्रभाव पड़ा।

गांधीजी ने 12 वर्ष की आयु में राजकोट के एल्फर्ड हाईस्कूल में प्रवेश लिया। सन् 1887 में इन्होंने हाईस्कूल पास किया। गांधीजी ने कहा है कि इसी समय उनके जीवन पर 'श्रवण पितृभक्ति' तथा 'हरिशचन्द्र' नाटक का गहरा प्रभाव पड़ा। उसी समय गांधीजी ने निश्चय किया कि उन्हें भी अपने को 'श्रवण कुमार व हरिशचन्द्र' जैसा बनाना है।

हाईस्कूल के बाद उच्च अध्ययन के लिए गांधीजी के चाचा ने गांधीजी को इंगलैण्ड भेजने का निश्चय किया। फलतः 4 सितम्बर, 1988 को गांधीजी जहाज द्वारा इंगलैण्ड गये। इग्लैण्ड में वे दादाभाई नौरोजी व अन्य कई भारतीय विद्वानों के संरक्षण में रहे। इसी समय उन्हें एरनोल्ड द्वारा अनुवादित श्रीमद्भागवत् गीता का अंग्रेजी रूपांतरण 'दी सौंग सेलेच्यियल' तथा 'लाइट ऑफ एशिया' के अध्ययन का अवसर मिला और गीता इनके जीवन की सहचरी बन गई।

इंगलैण्ड में 11 जून, 1891 को गांधीजी ने वकालत की परीक्षा पास कर ली और इसके दूसरे ही दिन उन्हें हाइकोर्ट के लिए पंजीकृत कर लिया गया। परन्तु भारत में जाग्रत हो रही राजनीतिक चेतना व उथल–पूथल की ओर गांधीजी का ध्यान आकृष्ट हो चुका था। अतः 12 जून, 1891 को वे राजकोट के लिए रवाना हो गए, वहाँ वे सन् 1892 तक रहे।

अप्रैल, 1893 में दादा अब्दुल्ला एण्ड कम्पनी के निमंत्रण पर गांधीजी दक्षिण अफ्रीका गये।[2] वहाँ उन्हें रस्किन की रचना 'अन्टु दिस लास्ट' तथा टॉलस्टाय की रचना 'दी किंगडम ऑफ गौड इज विदिन यू' पढ़ने का अवसर मिला। अहिंसा तथा शांतिपूर्ण असहयोग के संबंध में उनकी मान्यताओं को इन ग्रन्थों से बहुत अधिक बल मिला। सत्य, अहिंसा व सत्याग्रह का अनन्त प्रयोग, जो उनकी मृत्युपर्यन्त चलता रहा, महात्मा गांधी ने दक्षिणी अफ्रीका से ही प्रारम्भ किया था। गांधीजी सन् 1914 तक अफ्रीका में भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहे।

सन् 1915 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की परिस्थितियों ने गांधीजी को सक्रिय राजनीति की ओर आकृष्ट किया। सन् 1916 में गोपाल कृष्ण गोखले के परमशिष्यत्व में गांधीजी ने 'लखनऊ एक्ट' के आधार पर हिन्दू–मुसलमानों के मध्य समझौता करवाया तथा 'स्वदेशी एवं स्वराज्य' को अपना मूलमंत्र बनाया।

सन् 1913 के जलियाँवाला बाग, रौलट एक्ट तथा अंग्रेजी शासन के अन्य अमानवीय कानूनों व कृत्यों ने गांधीजी को अंग्रेजी सरकार के विरूद्ध असहयोग आंदोलन करने को मजबूर किया। फलतः 1920–21 में सम्पूर्ण देश गांधीजी के नेतृत्व में आ गया। इसी प्रकार का एक आंदोलन उन्होंने सन् 1930–32 में भी संचालित किया, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन का नाम दिया गया था। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने लन्दन में सितम्बर, 1931 में हुई द्वितीय गोलमेज परिषद् में भी हिस्सा लिया। आंग्ल शासन के गलत कानूनों की अवज्ञा करने के प्रतीकस्वरूप उन्होंने मार्च–अप्रैल, 1930 में अपना इतिहास प्रसिद्ध दाण्डी कूच किया तथा दाण्डी पर 5 अप्रैल, 1930 को नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया।

गांधीजी ने समय–समय पर कांग्रेस की गलत नीतियों की भी खुलकर आलोचना की। नवम्बर, 1938 में कांग्रेस में बढ़ रहे अनुशासनहीनता तथा भ्रष्टाचार के विरूद्ध चेतावनी दी। अक्टूबर, 1940 में गांधीजी ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आन्दोलन भी किया। इसी बीच 22 फरवरी, 1944 को जब वे जेल में थे, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई। गांधीजी के जीवन पर इस घटना का गहरा प्रभाव पड़ा।

देश की तत्कालीन परिस्थितियों ने गांधीजी को देश की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कार्य करने को बाध्य किया। उनका पूर्ण विश्वास था कि विद्यमान सम्पूर्ण कठिनाइयाँ ब्रिटिश शासन के कारण थी तथा पूर्ण स्वतंत्रता को वे उनका एकमात्र उपचार मानते थे। उनकी स्वतंत्रता की कल्पना सम्पूर्ण भारतवर्ष के लिए थी।

अंग्रेजों की ओर से जब भारत के विभाजन का प्रस्ताव आया, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि भारत का विभाजन किसी भी तरह मान्य नहीं होगा। उन्होंने तो इस सम्बन्ध में यहाँ तक कहा था कि विभाजन उनके मृत शरीर पर ही हो सकता है। किन्तु अन्त में कांग्रेस को भारत का विभाजन स्वीकार करना ही पड़ा।

स्वतंत्रता के दिन सम्पूर्ण दिन गांधीजी ने प्रार्थना व मौन व्रत रखा। वे एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते थे, जो पूर्णतः अहिंसा व राम के आदर्शों को लिए हुए हो। किन्तु स्वतंत्रता के कुछ ही समय बाद वे अपने स्वप्न को अधुरा लेकर शुक्रवार, 30 जनवरी, 1948 की शाम को दिल्ली के बिड़ला भवन में प्रार्थना स्थल की ओर जाते हुए नाथूराम विनायक गोड़से की गोली के शिकार होकर अपने पार्थिव शरीर को छोड़कर चले गए।

साहित्यावलोकन

अनुसंधान से सम्बन्धित उपलब्ध साहित्य का अध्ययन करना किसी भी शोधकर्ता के लिए एक वैज्ञानिक एवं महत्वपूर्ण चरण है। मानव अपने अतीत से संचित एवं आलेखित ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान का सृजन करता है। यह एक कठिन एवं परिश्रमजन्य कार्य है फिर भी अपने अध्ययन को वैज्ञानिक, परिशुद्ध, गहन एवं स्पष्ट स्वरूप प्रदान करने के लिए यह जरूरी है। अनुसंधानकर्ता ने अपनी समस्या को ठीक प्रकार से समझने, अर्न्तदृष्टि विकसित करने, पुनरावृत्ति से रक्षा करने, ज्ञान का विस्तार तथा अध्ययन से सम्बन्धित अन्य समस्याओं के अन्वेषण हेतु सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण किया है। यद्यपि समस्त साहित्य को प्रस्तुत करना समय एवं परिस्थितियों के अभाव में संभव नहीं है फिर भी समय–समय पर प्रकाशित पत्रिकाओं में उपलब्ध सामयिक साहित्य, ग्रन्थ, पुस्तकें, निबंध, लेख, जो वर्तमान अध्ययन से सम्बन्धित है के अध्ययन से प्राप्त महत्वपूर्ण विवरण को निम्न रूप में प्रस्तुत किया गया है–

महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक "मेरे सपनों का भारत" (1960) में ग्राम स्वराज्य, ग्राम स्वावलम्बन, शिक्षा (विशेषकर महिला शिक्षा), महिला विकास, कुटीर उद्योग धन्धों आदि पहलूओं पर विस्तार से विवेचन किया है साथ ही गांधीजी ने भारत की उन्नति एवं विकास का मूलाधार ग्रामीण विकास को मानते हुए अपनी इस पुस्तक में ग्रामीण विकास को सर्वाधिक महत्व दिया है।

शंकरदयाल सिंह द्वारा लिखित पुस्तक महात्मा गांधी : सत्य से सत्याग्रह तक" (1994) लेखक के पच्चीस वर्षों के अन्तराल में लिखे ऐसे निबन्धों का संग्रह है जिनमें अन्वेषण की सुरभि और गांधीवाद की व्यावहारिक झलक मिलती है। इस पुस्तक में बताया गया है कि गांधीजी का समग्र जीवन सत्य से सत्याग्रह तक की महागाथा है। अपने जीवन में उन्होनें सत्य के प्रयोग किये, दक्षिण अफ्रीका में उसे सत्याग्रह का रूप दिया और चम्पारण पहुंचकर उसकी परिणति हुई।

राकेश कुमार झा द्वारा लिखित रचना "गांधीय चिन्तन में सर्वोदय" (1995) में सर्वोदय की गांधीय धारणा के व्यापक आयामों का स्पष्टीकरण करते हुए, उनकी प्रासंगिकता का परीक्षण किया गया है। इस कृति में स्पष्ट किया गया है कि गांधी की सर्वोदय की धारणा चिंतन की वैचारिक अवस्थाओं, सामाजिक परिवर्तन व स्वरूप, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व नैतिक, व्यवस्थाओं के आदर्श प्रतिमान आदि को एक साथ प्रस्थापित करती है।

के.एल. कमल द्वारा लिखित रचना "गांधी चिन्तन" (1995) में बताया गया है कि गांधी चिन्तन एवं कर्म का यद्यपि एक सन्दर्भ रहा है लेकिन वे केवल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं आधुनिक भारत की परिधि में आबद्ध नहीं किये जा सकते, वे मानवीय समस्याओं से

जुड़े होने के कारण शाश्वतता को लिए हुए हैं। समस्याएँ चाहे पश्चिमी दुनिया की हो अथवा तृतीय विश्व के नवोदित राष्ट्रों की, उनके समाधान में कहीं न कहीं गांधी की सम्बद्धता झलकने लगती है। एक नये मानव, नये मूल्यों एवं नये समाज की संरचना की अवधारणा के निर्माण में गांधी पर विचार आवश्यक हो जाता है।

हरदान हर्ष द्वारा लिखित पुस्तक "गांधी : विचार और दृष्टि" (1996) गांधी के वैचारिक विवेक को बहुत ही सच्चे स्वरूप में रखती है और एक ऐसी जीवन दृष्टि प्रदान करती है जिससे मौलिक भारतीयता का रूप सम्पुष्ट होता है। निश्चय ही गांधी ने समता का जो मूलमंत्र विश्व समाज को दिया है, वह उनकी 'वसुधैव कुटुम्बकम' विचारधारा को ठोस धरातल देता है। यह पुस्तक गांधीजी के अनेक अछूते आयामों को भी उद्घाटित करने में सफल रही है।

विश्व प्रकाश गुप्त एवं मोहिनी गुप्त द्वारा रचित पुस्तक "महात्मा गांधी : व्यक्ति और विचार" (1996) में बीसवीं सदी के सबसे महान पुरुष के बारे में, उसके व्यक्तित्व, कृतित्व और उसकी अनमोल विरासत के बारे में संक्षिप्त, सारगर्भित और प्रामाणिक जानकारी देने का विनम्र प्रयास किया गया है।

गांधीजी द्वारा लिखित आत्मकथा "सत्य के साथ मेरे प्रयोग" (2012) प्रारम्भिक बचपन से लेकर सन् 1921 तक के उनके जीवन वृतान्त को शामिल करतीहै। यह साप्ताहिक किस्तों में लिखी गयी है जो सन् 1925 से 1929 तक नवजीवन पत्रिका में प्रकाशित हुई है।

गांधीजी ने यरवदा जेल में रहते हुए यह पुस्तक लिखी है तथा इस पुस्तक के बारे में गांधीजी का कहना था कि इस आत्मकथा को लिखने का उद्देश्य जीवन में सत्य के साथ उनके द्वारा किये गये आध्यात्मिक व नैतिक प्रयोगों के बारे में बताना है। इसमें गांधीजी लिखते है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे लेखों को कोई प्रमाणभूत नहीं समझें। यही मेरी बिनती है। मैं तो सिर्फ यह चाहता हूँ कि उनमें बताये गये प्रयोगों को दृष्टान्तरूप मानकर सब अपने–अपने प्रयोग यथाशक्ति और यथामति करे।

डॉ. डी.एस. यादव द्वारा लिखित रचना "गांधी दर्शन : विविध आयाम" (2012) गांधी दर्शन के व्यापक आयामों पर प्रकाश डालते हुए वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता का विश्लेषण करती है। इस पुस्तक में गांधी दर्शन के प्रमुख आधार अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्याग्रह, असहयोग, सविनय अवज्ञा, महिला उत्थान, सर्वोदय, गांधीवाद और साम्यवाद, शाकाहार एवं ट्रस्टीशिप आदि विषयों पर गहन अध्ययन एवं शोधन किया गया है।

यह पुस्तक गांधी वांग्मय से प्राप्त शोध सामग्री पर आधारित है इसलिए यह प्रमाणिकता, गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता से परिपूर्ण है।

उपर्युक्त विवेचन द्वारा गांधी चिन्तन में राज्य से सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा करने का प्रयास किया गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय होगा कि प्रस्तुत साहित्य समीक्षा किसी भी दृष्टि से पूर्ण नहीं मानी जा सकती तथा ऐसा कोई दावा करने का प्रयास भी नहीं किया जा रहा है। समय तथा अन्य सीमाओं में रहते हुए जो साहित्य सुलभ हो पाये उन्हीं की समीक्षा यहाँ की गई है।

शोध साहित्य की विवेचना से स्पष्ट है कि विभिन्न विद्वानों ने गांधी चिन्तन में राज्य विषय पर पर्याप्त रूचि लेकर इसके विविध पक्षों का विश्लेषण करने का प्रयास किया है किन्तु अधिकांश विवेचन या तो वैधानिक दृष्टि से अथवा सैद्धान्तिक दृष्टि से किये गये हैं।

गांधीजी के चिन्तन में राज्य को केन्द्र में रखकर सार्थक अध्ययनों की लगभग रिक्तता स्पष्ट देखी जा सकती है। इसलिए प्रस्तुत अध्ययन को इस महत्वपूर्ण रिक्तता भरने के क्रम में एक लघु प्रयास के रूप में देखा जा सकता है।

वर्तमान अध्ययन की आवश्यकता

उपरोक्त अध्ययनों के विश्लेषण और विवेचन से स्पष्ट है कि गांधी चिन्तन में राज्य से सम्बन्धित अनेक अध्ययन हो चुके हैं। परंतु वर्तमान में बदली हुई परिस्थितियों में विश्व के सामने आतंकवाद, हिंसा, परमाणु बम, विचारधाराओं का संघर्ष, जातिवाद जैसी समस्याएं आ रही है इसलिए इन वैश्विक समस्याओं के स्थायी समाधान हेतु गांधीजी के विचारों पर नये दृष्टिकोण से विचार आवश्यक है साथ ही गांधीजी के व्यक्ति, समाज तथा राज्य संबंधी विचारों का विश्लेषण या तो काफी पहले किया गया है या इस विषय पर सीधे अध्ययन नहीं किया गया है।

गांधीजी ने अपने चिन्तन में भारतीय मूल्यों को प्रस्तुत किया, जिसमें पवित्रता, नैतिकता एवं छल–कपट की राजनीति के स्थान पर सत्य, अहिंसा, सहयोग, सेवा, लोक–कल्याण तथा प्रेम का सम्बल रखा। गांधीजी का राजनीतिक चिन्तन समतामय समाज की परिकल्पना करता है तथा सम्प्रभुत्ता, प्रशासन, न्यायालय, चुनाव–पद्धति, शिक्षा एवं अहिंसक राज्य की विदेश नीति आदि के बारे में विशेष व्यवस्था देते हुए राज्य विहीन व्यवस्था पर बल देता है। गांधीजी ने राजनीति में शक्ति की अपेक्षा सदाशयता, नैतिकता एवं ह्रदय परिवर्तन को महत्वपूर्ण माना है। गांधीजी ने राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन हेतु हिंसात्मक तरीकों एवं साधनों की अपेक्षा अहिंसात्मक साधनों को ही औचित्यपूर्ण माना।

आज के तेजी से परिवर्तित हो रहे विश्व परिदृश्य में जहाँ आपसी तनाव एवं मतभेद बढ़ते ही जा रहे हैं, तब गांधीजी की अहिंसा की दी हुई शिक्षा अधिक प्रासंगिक और प्रभावशाली हो जाती है क्योंकि आज का मानव जिन कठिनाइयों से गुजर रहा है, गांधी का मार्ग ही उसका पथ आलोकित कर सकता है तभी शांति, सुरक्षा, उन्नति एवं समृद्धि के पथ पर बढ़ता हुआ मानव एक घृणाविहीन, युद्धविहीन एवं प्रेमपूर्ण विश्व की रचना कर सकता है।

अध्ययन का उद्देश्य

वर्तमान अध्ययन में गांधीजी के राज्य सम्बन्धी विचारों का विश्लेषण किया गया है। किसी भी राष्ट्र या राज्य के लिए मानवता का भविष्य एक महत्वपूर्ण चिन्तन का विषय होता है। चिन्तन का यह विषय उन महान् महापुरुषों के विचार के सापेक्ष है जो मानवता के सन्दर्भ में अपने विचार प्रकट करते हैं। इन महापुरुषों का मुख्य उद्देश्य मानव जाति के कल्याण हेतु विचार व्यक्त करके समाज में सुधार लाना होता है। गांधीजी भी अपने विचारों

के माध्यम से मानवता का भविष्य सुरक्षित करना चाहते थे इसलिए उन्होंने पूरे विश्व के मानव कल्याण हेतु अपने विचार प्रकट किये।

किसी भी शोध का उद्देश्य होता है कि वर्तमान समाज के खोये हुए मूल्यों को फिर से स्थापित करना। आज समाज में बहुत से दुर्गुण पैदा हो गए हैं जैसे–जातिवाद, सम्प्रदायवाद, आतंकवाद, नृजातिवाद, परमाणु बम का खतरा आदि समाज में से मानवीय मूल्य विलुप्त हो रहे है। प्रत्येक व्यक्ति भौतिक सुख की ओर भाग रहा है जबकि उसका नैतिक पतन हो रहा है। अतः समाज के इन खोये हुए मूल्यों को कैसे स्थापित किया जाए? गांधीजी के विचारों को अपनाने से पुनः सामाजिक मूल्यों को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए समाज में व्याप्त दुर्दशा को सुधारने के लिए गांधी चिन्तन पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। अतः वर्तमान शोध का उद्देश्य गांधी चिन्तन में व्यक्ति, समाज और राज्य सम्बन्धी विचारों का विश्लेषण करना है क्योंकि यदि गांधीजी के विचार वैश्विक सन्दर्भ में देखे जाये तो सभी वैश्विक समस्याओं का हल निकल सकता है। गांधीजी के अहिंसा, सर्वोदय, सत्याग्रह, ट्रस्टीशिप आदि विचारों का प्रचार–प्रसार किया जाये तो पूरी मानव जाति के मूल्यों को बचाया जा सकता है।

अनुसंधान विधि

प्रस्तुत शोध विषय एक सैद्धान्तिक अध्ययन है। इसमें गांधीजी के मानवता से सम्बन्धित विभिन्न आयामों का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। गांधीजी के विचारों को मानवता के भविष्य के सन्दर्भ में देखने के लिए शोधकर्ता द्वारा अनेक पद्धतियों का प्रयोग किया गया है। जिनमें ऐतिहासिक शोध प्रविधि, दार्शनिक शोध प्रविधि के अन्तर्गत किसी घटना की विस्तृत जानकारी के लिए न केवल उपयुक्त पद्धति का चयन किया जाता है बल्कि अध्ययन की केन्द्रीय समस्या का निर्णय भी किया जाता है अर्थात् इसमें केवल यह नहीं देखा जाता है कि हमें कैसे अन्वेषण करना है बल्कि यह भी सोच लिया जाता है कि किस विषय का अन्वेषण करना है।

दर्शनशास्त्रीय पद्धति में विषय या वस्तु के मुख्य वैचारिक, अमूर्त एवं चिन्तात्मक पक्षों पर चिन्तन–मनन, विवेक, तर्क, कल्पना, अंतप्रेरणा, प्रज्ञा आदि के आधार पर अध्ययन किया जाता है। इस प्रविधि के माध्यम से हम मानवता के भविष्य के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। इसमें यह देखा जा सकता है कि प्राचीनकाल में समाज की क्या स्थिति थी और वर्तमान में क्या स्थिति है। इस पद्धति से प्रेरणा ली जा सकती है कि प्राचीनकाल में किन–किन विद्वानों के विचारों का समाज पर प्रभाव पड़ा। इन विचारों से कैसे अच्छे समाज की स्थापना हुई। गांधीजी के विचारों से भी इन प्रविधियों के माध्यम से मानवता के भविष्य को एक अच्छी दिशा दी जा सकती है।

वर्तमान अध्ययन में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों का प्रयोग किया गया है। गांधी चिन्तन से सम्बन्धित प्रकाशित सामग्री, गांधीजी एवं महत्वपूर्ण विद्वानों की पुस्तकें, शोधपत्रों में प्रकाशित आलेख, समाचार पत्र–पत्रिकाओं में गांधी चिन्तन से सम्बन्धित सम्पादकीय व आलेखों का अध्ययन किया गया है। हाल में गांधी चिन्तन से सम्बन्धित जो अध्ययन, प्रतिवेदन, लेख, विचार प्रकाशित हुए हैं, उन्हें भी वर्तमान शोध अध्ययन में शामिल करने का प्रयास किया गया है।

गाँधीजी के राज्य सम्बन्धी विचार

गांधी का चिन्तन समग्र है, इससे उन्हें राजनीतिक अथवा आर्थिक विचारक के रूप में देखना उचित प्रतीत नहीं होता। इसका कारण स्पष्ट है और वह यह कि उनके चिन्तन के मूल में धर्म है और यह उनके समस्त विचार को अनुप्राणित करता है। यही कारण है कि वह राजनीति, अर्थषास्त्र, समाजषास्त्र या मानव के जीवन से सम्बद्ध किसी भी शास्त्र से धर्म और नैतिकता से पृथक कर चल ही नहीं सकते। इस परिधि के अन्तर्गत रहते हुए उनके राज्य, प्रजातन्त्र, समाजवाद, स्वराज्य आदि से जुड़े हुए विचारों को संग्रहीत कर राजनीतिक चिन्तन शीर्षक दे सकते है।

महात्मा गॉधी दार्षनिक अराजकतावादी थे। उन्होंने अपने भाषणों और लेखों में बिखरे हुए रूप में आदर्ष अहिंसक समाज की रूपरेखा को मोटे तौर से समझाया था। एक आदर्ष जनतन्त्रवादी समाज में वे यद्यपि किसी भी रूप में राज्य के अस्तित्व के विरोधी थे, लेकिन व्यवहारवादी विचारक होने के नाते उन्होंने 1946 में स्पष्ट रूप से कहा था कि संसार में कहीं भी बिना सरकार के राज्य का अस्तित्व नहीं हैं तथापि यदि हम इस प्रकार के आदर्ष अहिंसक समाज के लिए निरन्तर कार्य रहें तो धीरे–धीरे ऐसे समाज का आविर्भाव इस सीमा तक हो सकता है जो लोगों के लिए कल्याणकारी हो। 'स्वराज्य' से गाँधी ने अपने राज्य सम्बन्धी मान्यताओं को स्पष्ट किया है।

राज्य के बारे में गांधी जी का मत था कि राज्य एक आवष्यक दुर्गुण है जो मानव–जीवन के नैतिक मूल्यों पर आघात करता है। गांधी जी ने जिस आदर्ष जनतन्त्रवादी समाज की कल्पना की, उसमें तो वे किसी भी रूप में राज्य के अस्तित्व के विरोधी थे उन्होंने नैतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक आधारों पर राज्य का विरोध किया। गांधी जी का तर्क था कि प्रत्येक राज्य में सरकार सजा का भय दिखा कर नागरिकों से काम करवाती है और उन्हें कानून के अनुसार चलने पर बाध्य करती है। शासन–व्यवस्था चाहे कितनी भी लोकतन्त्री हो, फिर भी राज्य की जड़ में सदैव हिंसा होती है अर्थात् गरीबों का शोषण करने की प्रवृत्ति होती है। ''राज्य हिंसा का संगठित एवं केन्द्रित रूप है। व्यक्ति के भीतर आत्मा है लेकिन राज्य तो आत्मा–रहित मषीन है। राज्य को हिंसा से कभी नहीं बचाया जा सकता, क्योंकि उसकी उत्पत्ति ही हिंसा से हुई है।'' गांधी जी ने कहा कि राज्य पुलिस, न्यायालय, सैनिक–षक्ति आदि के माध्यम से व्यक्तियों पर अपनी इच्छा थोपता हैं।

राज्य के विरोध में गांधी जी का दूसरा सबल तर्क यह था कि राज्य एक बाध्यकारी शक्ति है जो मानव के व्यक्तित्व के विकास को कुंठित करती है उन्होंने एक अवसर पर कहा था ''मै राज्य की शक्ति में किसी भी प्रकार की वृद्धि को अधिकतम भय की दृष्टि से देखता हूँ।'' यद्यपि देखने में ऐसा लगता है कि राज्य कानून द्वारा

शोषण को कम करने का प्रयत्न कर रहा है तथापि वास्तविकता यह है कि राज्य व्यक्तित्व का विनाष करके मनुष्यमात्र को सबसे बड़ी हानि पहुँचाता है। गाँधी जी की मान्यता थी कि राज्य आज्ञा देता है और जब कोई आज्ञा दी जाती है तो वह आज्ञा अपने साथ व्यक्ति के कार्यों का नैतिक मूल्य नहीं रखती । राज्य के विरोध में गांधी जी का तीसरा मुख्य तर्क यह था कि अहिंसा पर आधारित किसी भी आदर्ष समाज में राज्य सर्वथा अनावष्यक है। यद्यपि बाकुनिन, क्रोपोटेकिन तथा अन्य अराजकतावादी भी राज्य को अनावष्यक समझते थे, लेकिन उनकी युक्तियों के विपरीत गांधी जी की युक्तियां पूर्णतः नैतिकता–प्रधान थी। गांधी जी का कहना था कि ''आदर्ष समाज शुद्ध अराजकता की वह दषा है जिसमें सामाजिक जीवन ऐसी पूर्णता को पहुँच गया हो कि वह स्वयं संचालित बन जाए। इस दषा में प्रत्येक मनुष्य अपना शासक स्वयं होता है। वह अपने ऊपर इस तरह शासन करता है कि अपने पड़ोसी के रास्ते में कभी रूकावट नहीं डालता। आदर्ष–समाज में कोई राजनीतिक सत्ता नहीं होती, क्योंकि उसमें कोई राज्य नहीं होता।

गांधीजी का राज्यविहीन लोकतंत्र वैसा ही प्रेरणादायक उद्देष्य है जैसा उद्देष्य मार्क्स की 'साम्यवाद की उच्च अवस्था' का है। गांधीजी मानवीय विकास की अनिवार्यता को स्वीकार करते हुए यह मानते हैं कि मनुष्य का विकास हिंसा से अहिंसा की ओर होता है। अतः अहिंसा की सर्वोच्च स्थिति में पहुँचने पर राज्य जैसी हिंसात्मक संस्था का स्वतः लोप हो जाएगा। किन्तु जब तक हिंसात्मक जीवन से अहिंसात्मक जीवन की ओर मनुष्य विकसित हो रहा है, इस संक्रमण काल में व्यावहारिक आवष्यकताओं के लिए राज्य का अस्तित्व बना रहेगा। जब तक मनुष्य में हिंसा की प्रवृति है तब तक समाज में राज्य का स्थान भी रहेगा। इसलिए उन्होंने राज्य के लिए न्यूनतम कार्य निर्धारित किए। वे भी थोरो की तरह इस मान्यता में आस्था रखते थे कि वही सरकार सर्वश्रेष्ठ है जो न्यूनतम शासन करती है।

गांधी जी स्वप्निल आदर्षवादी नहीं थे बल्कि वे एक व्यावहारिक और यथार्थवादी विचारक थे। उन्होंने एक राज्यविहीन समाज की कल्पना तो की लेकिन वे यह जानते थे कि इस आदर्ष की प्राप्ति बहुत कठिन है। उन्होंने यह मत व्यक्त किया कि राज्य विहीन समाज के आदर्ष को मनुष्य अपने जीवन में कभी भी पूर्णरूपेण कार्यान्वित नहीं कर सकता। सन् 1940 में एक प्रष्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि ''सरकार पूरी तरह अहिंसक होने में कभी सफल नहीं हो सकती है, क्योंकि वह राज्य में रहने वाले समस्त मनुष्यों का प्रतिनिधित्व करती है। आज मैं ऐसे स्वर्णकाल की बात नहीं सोचता लेकिन मैं ऐसे समाज के अस्तित्व की सम्भावना में विष्वास करता हूँ जो प्रमुख रीति से अहिंसक हो और मैं उसके लिए ही काम कर रहा हूँ । सन् 1946 में उन्होंने यह स्वीकार किया कि उनको इस प्रष्न में कोई रूचि नहीं है और संसार में कही भी बिना सरकार के राज्य का अस्तित्व नहीं है परन्तु उन्होंने यह आषा व्यक्त की, कि यदि लोग इस प्रकार के समाज के लिए निरन्तर कार्य करते रहें, तो धीरे–धीरे ऐसे समाज का आविर्भाव इस सीमा तक हो सकता है जो लोगों के लिए कल्याणकारी हो। गांधीजी का यह मत था कि ''यदि ऐसी समाज का कभी आविर्भाव होगा तो वह भारत में ही होगा, क्योंकि केवल भारत ही ऐसा देष है, जहाँ इस प्रकार का प्रयास हुआ है। उस ओर काम करने का मार्ग है मृत्यु के भय का पूर्ण परित्याग।''

निष्कर्ष

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि गांधीजी राज्य को उसी सीमा तक स्वीकार करते हैं जहाँ तक कि वह अनिवार्य हो अर्थात् समाज में हिंसा की प्रवृत्ति के पूर्ण नाष के साथ ही गांधी जी के मत में राज्य का स्वतः लोप हो जाएगा। जैसा पूर्व में कहा जा चुका है राज्य विहीन समाज सम्भव नहीं है अतः इसके विकल्प के रूप में गांधीजी ने आदर्ष राज्य व्यवस्था 'रामराज्य' की परिकल्पना का निरूपण 'हिन्द स्वराज्य' में किया।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *यादव, डॉ. डी.एस. गांधी दर्शन : विविध आयाम, आस्था प्रकाशन, जयपुर, 2012, पृष्ठ 1.*
2. *उपर्युक्त, पृष्ठ 2.*
3. *उपर्युक्त, पृष्ठ 3.*
4. *ठोठियाल, डॉ. एस. एन., पाठक, डॉ. ए.बी. शैक्षिक अनुसंधान का विधिशास्त्र, 1973, पृष्ठ 42.*
5. *गुड, बार एण्ड स्केट्स, द मैथड्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, न्यूयार्क, 1945, पृष्ठ 261.*
6. *गांधी. एम.के., मेरे सपनों का भारत, नवजीवन प्रकाशन, अहमदाबाद, 1960.*
7. *सिंह, शंकरदयाल, महात्मा गांधी : सत्य से सत्याग्रह तक, अभिरुचि प्रकाशन, दिल्ली, 1994.*
8. *झा, राकेश कुमार, गांधीय चिन्तन में सर्वोदय, पॉइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 1995.*
9. *कमल, के.एल. गांधी चिन्तन, जयपुर पब्लिशिंग हाऊस, जयपुर, 1995.*
10. *हर्ष, हरदान, गांधी : विचार और दृष्टि, श्याम प्रकाशन, जयपुर, 1996.*
11. *गुप्त, विश्व प्रकाश, गुप्त, मोहिनी, महात्मा गांधी : व्यक्ति और विचार, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1996.*
12. *विवेक, रामलाल, महात्मा गांधी : जीवन और दर्शन, पंचशील, प्रकाशन, जयपुर, 1996.*
13. *वर्मा, एस.एल., मिश्रा, मधु, महात्मा गांधी एवं धर्मनिरपेक्षता, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1999.*
14. *कौशिक, आशा, गांधी : नयी सदी के लिए, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2000.*
15. *सिंह, मनोज कुमार, चौधरी, शैलेष कुमार, भारतीय राजनीतिक चिन्तक महात्मा गांधी, डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2007.*
16. *चन्देल, धर्मवीर, गांधी चिन्तन के विभिन्न पक्ष, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2012.*
17. *गांधी एम.के., सत्य के साथ मेरे प्रयोग, के.आर.जे. बुक इंटरनेशनल, दिल्ली, 2012.*
18. *यादव, डी.एस., गांधी दर्शन : विविध आयाम, आस्था प्रकाशन, जयपुर, 2012.*